न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 84 / 2023	2023 / 461	02.082023	20.11.2024

1. महेन्द्र पुत्र भूरजी जाति जाट
2. मुकेश पुत्र बिजेन्द जाजि जाट
3. सूपरिया पुत्र सूरजमल जाति जाट
4. मोहोकम सिंह पुत्र दुण्डल जाति जाट
5. महाराज सिंह पुत्र सुखचन्द जाति जाट निवासीयान ग्राम मानखेडा बहैसियत ग्रामवासीयान ग्राम मानखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर, जिला अलवर राज0।

— रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 971 वाके ग्राम मानखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर।

उपस्थितः—

01—श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट्स

02—श्री दीपक मीना — राजकीय अभिभाषक

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 971 निर्णय दिनांक 02.03.2022 वाके ग्राम मानखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर स्वीकृत किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 127 रकबा 0.47 है. वाके मानखेडा तहसील कठूमर में स्थित है जिसे विधिविरूद्ध तरीके से तहत अदालत द्वारा सिवायचक लगानी बंजड से गेरमुमकिन आबादी विधि विरूद्ध तरीके से किया जाकर इंतकाल संख्या 971 दिनांक 02—03—22 को विधि विरूद्ध दर्ज स्वीकार किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 02—03—2022 श्रीमान तहसीलदार कठूमर का है जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से वर्तमान अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है। आलोच्य आदेश दिनांक 02—03—22 का है जिसकी जानकारी अपीलांटान को पूर्व में नही थी ओर उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 12—07—2023 को हुई जब रेस्पा. ने अपीलांटान को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दी, तदउपरात तहसीलदार महोदय कठूमर के कार्यालय में जानकारी की ओर जानकारी करने पर दिनांक 31—07—2023 को उक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर नकल 12—07—2023 को प्राप्त हो गयी तदउपरात उक्त नकल को लेकर अपीलांटान ने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया ओर सलाह मशवरा किया तो वकील साहब ने बताया कि उक्त आदेश की अपील होगी जिस पर मिनअपीलांटान ने अपील हेतु खर्चे का इंतजाम किया ओर खर्चे का इंतजाम कर आज बिना देरी जानकारी से अंदर अवधी उक्त अपील पेश की जा रही है। अवधी कन्डोन किये जाने हेतु दफा 5 मयाद अधि० का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। आराजी खसरा नंबर 127 रकबा 0.47 है. वाके मानखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर में स्थित है जो भूमि सिवायचक भूमि है। जिस भूमि से लगते हुये अपीलांट मुकेश, महेन्द्र, सुपरिया, मौकम सिंह महाराज सिंह के खेत है एवं मुकेश व मौकम सिंह के मकानात है तथा देवी मां का मन्दिर बना हुआ है महेन्द्र अपीलांट के खेत का रास्ता इसी भूमि में से है तथा खेतो में व मकान पर आने जाने का रास्ता भी यही से है तथा विवादित जगह में गांव के छोटे छोट बच्चे खेल कूद करते है बाली बाल इत्यादि खेलते है ओर खेल का मैदान

अ. रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

है तथा कृषि कार्य हेतु टैक्टर ट्रोली लाने ले जाने व पशुओ को लाने ले जाने व आने जाने का रास्ता यही है। जो सभी तथ्य काबिल गोर अदालत श्रीमान है ओर तहत अदालत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अन्य लोग नहनो, राजू, सोहनलाल, शिब्बा, दयाचन्द, रज्जन, रघवर, मनहोरी विवादित आराजी में लकडी आदि डाल कर कब्जा करने की फिराक में है तथा मौके पर पत्थर बजरी निर्माण कार्य हेतु पटक रखी है तथा उक्त विवादित आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर रहे है। तथा रास्ता व खेल कूद के मैदान को बंद करने की फिराक में है। विवादित आराजी को दिनांक 29–12–21 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अर्न्तगत आबादी विस्तार हेतु तहसीलदार कठूमर द्वारा सिवायचक भूमि का प्रस्ताव श्रीमान उप खण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष पेश किया गया पहले उक्त खसरा नंबर सिवायचक राजस्व रेकार्ड में दर्ज था जो भूमि सरकारी भूमि है इसी खसरा नंबर में होकर गांव मानखेडा से तसई के लिए सी सी खरंजा यानि सडक सरकारी निकल रही है इस प्रकार उकत भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग कीभूमि है इसी खसरा नंबरके पास तरफ उत्तर में अपीलांट व अन्य गांव की कृषि भूमि है जिनका रास्ता भी इसी नंबर में होकर आता है तथा कृषि कार्य करने के लिए टैक्टर ट्रोली कल्टीवेटर पशुधन चराने तथा तैयार फसल को लाने ले जाने के काम में लेते चले आ रहे है उक्त गेर.मु.आबादी गांव के नजदीक होने के कारण ग्रामवासीयान पशुधन को चराने उठाने बैठाने के काम में लेते चले आ रहे है उक्त प्रस्ताव के उपखण्ड अधिकारी कठूमर के पेश होने पर उपरोक्त वर्णित सिवायचक भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 92 के अर्न्तगत एतदद्वारा आबादी हेतु सैट अपार्ट किया जाता है तथा तहसीलदार कठूमरको निर्देशित कर उक्त भूमि को आबादी भूमि हेतु सैट अपार्ट के रूपमें राजस्व रिकार्ड गेंदर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये तब तहसीलदार कठूमर द्वारा दिनांक 02–03–2022 को इंतकाल संख्या 971 गेर.मु. आबादी हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा बिना मौका की जांच किये तथा गांव मानखेडा से तसई के लिये जाने वाली सडक का हवाल दिये बिना उक्त खसरा नंबर को आबादी मे दर्ज कर दिया जो गैरकानूनी है विधिविरूद्ध है गलत है। मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त की गई है जिसमें यह स्पष्ट लिखा गयाहै कि उक्त भूमि खाली जिसके आस पास आबादी बसी हुई है उक्त खसरा नंबर रास्ते पर स्थित है। जिससे यह स्पष्ट है कि यह नंबर आबादी के कामनही आ रहा है ओर सिवायचक है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिविरुद्ध है, क्षेत्राधिकार बाहर है इसलिये अपास्त किये जाने योग्य है। जिस आदेश के तहत यह भूमि को आबादी में दर्ज करने का आदेश दिया है वो भूमि में आबादी नही है व उसे आबादी में करने का आदेश विधि विरूद्ध है। यह सारी कार्यवाही तहसीलदार ने राजनैतिक दबाव व स्थानीय विधायक के प्रभाव में आकर के व विधायक के चेहते लोगो को कब्जा कराने की नियत से आदेश जारी किया गया है जो आनन फानन में जारी किया गया है। उक्त आदेश की आड में अन्य लोग उक्त भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है ओर एलानिया धमकी दे रहे है कि कब्जा करके रहेगें यदि ऐसा होगया तो अपीलांट को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी इसलिये उन्हें रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है। मातहत अदालत ने सर्वसाधारण को व ग्रामवसीयो को कोई नोटिस नही किया ओर ना सूचना दी इसलिये मातहत अदालत में कार्यवाही के दोरान अपीलांट पक्षकार नही बनाये गये थे जबकि अपीलांटान ग्रामवासीयान है एग्रीव परसन है व्यथित व्यक्ति है ओर आवश्यक पक्षकार है क्योंकि यह भूमि हम सभी अपीलांटान व ग्रामवासीयो के काम आती है तहसीलदार ने नीचे पक्षकार नही बनाया इसलिये अपीलांटान को अपील पेश करने की इजाजत दी जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत तहसीलदार कठूमर का आदेश दिनांक 02–03–2022 बाबत इंतकाल नबर 971 ग्राम मानखेडा बाबत आराजी खसरा नंबर 127 रकबा 0.47 है. बजंड वाके मानखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमाने की कृपा करें।

आ ... (प्रथम)
... लिवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.03.2022 के विरूद्व दिनांक 02.08.2023 को पेश की गयी है जो करीब 05 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। यह अपील अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण संख्या 971 दिनांक 02.03.2022 के विरूद्ध पेश की है, जबकि उपरोक्त वर्णित सिवायचक आराजी को उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 92 के अंतर्गत आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई है जिससे अपीलाण्ट का किसी प्रकार का हित प्रभावित होना नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश नामा0 सं0 971 दिनांक 02.03.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)